



बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला - बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 1252 / ब.वि.वि. / 2016
प्रति,


जगदलपुर, दिनांक 26/07/2016

1. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
(बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध)
बस्तर -संभाग (छ.ग.)
2. विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशाला,
बस्तर विश्वविद्यालय,
जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2016-17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
संदर्भ :- संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 112/228/आउशि/समन्वय/16 नया रायपुर दिनांक 13.05.2016 (संलग्न)

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए यथावत लागू होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1253 / ब.वि.वि. / 2016
प्रतिलिपि :-

जगदलपुर, दिनांक 26/07/2016

01. कुलपति के निज सहायक बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

Mail

आदेश 1850
दिनांक 1/6/16

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक- 112/228/आउशि/समन्वय/16

नया रायपुर दिनांक 13/05/16

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2016-17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 4077/2282/2014/38-2 / 2014/38-2 रायपुर दिनांक 12.05.2016

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2015-16 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए यथावत लागू होंगे।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये, प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2016-17 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

पृ.क्रमांक- /228/आउशि/समन्वय/16

नया रायपुर दिनांक /05/16

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

श्री. अशोक
प्ले प्ले
A-R. Akum
13/6/16

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/५०७७/२२८२/२०१४/३८-२

नया रायपुर, दिनांक २/०५/२०१६

प्रति,

✓ आर्युक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़.

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१६-१७ हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए वर्ष २०१५-१६ में जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत शैक्षणिक सत्र २०१६-२०१७ के लिए यथावत लागू होंगे।
कृपया सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करते हुए प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक /०५/२०१६

पृ.क. /२२८२/२०१४/३८-२

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उ० शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
- निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- आदेश फोल्डर।

- २२१ -
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग